—:: निर्णय :—

दिनांकः— 01/12/25

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री हनुमान भादू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पुर्ण आशा हैं।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी स. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है एवं हिन्दू विधि से शासित होने के कारण प्रत्येक का पैतृक सम्पति में बतौर सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित हैं। प्रार्थना पत्र की नोईयत को समझने के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 ता 5 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

सजरा खानदान के अनुसार अप्रार्थी स. 1 प्रार्थी के पिता है व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 प्रार्थी के चाचा व ताउ है व अप्रार्थी सं. 1 के भाई है अप्रार्थी सख्या 5 प्रार्थी की बहिन है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम तह. पीलीबंगा के चक 21 एम.ओ. डी के खाता सं. 107/38 के प. न. 11/270 (56) के किला न. 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/2, 25/3, प.न. 12/270(57) किला न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 इस प्रकार कुल 5.0600 हैक्ट नहरी व गै. मु. रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र हैं।

3

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो पूर्व में अप्रार्थी स. 1 ता 4 के पिता के नाम दर्ज थी, जो अप्रार्थी स. 1 ता 4 को वारिसान प्राप्त हुई। वर्तमान में प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हक व हिस्सा मे से प्रार्थी का 1/3 हक व हिस्सा बराबर जन्म से निहित है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि प्रार्थी तहसील पीलीबंगा के चक 21 एम ओ डी के खाता संख्या 107/38 के प०न० 12/270 के मु०न० 57 के किला न0 3 8 13, 18, 23 की 1.265 हैक. नहरी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सख्या 1 को घरू बंटवारा मे प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पास कब्जा काश्त में है जिसमे से घरू बटवारा मे प्रार्थी 1/3 हक व हिस्सा व 1/3 हक व हिस्सा अप्रार्थी सख्या 5 जो की प्रार्थी की बहिन को दिया गया प्रार्थी की बहिन ने घरू बटवारा में प्राप्त प्रार्थी संख्या 5 जो की प्रार्थी की है जो की प्रार्थी से हार्दिक स्नेह रखती है इसलिए अपना समस्त हक व हिस्सा अपने भाई यानि की प्रार्थी को घरू हकत्याग कर दिया इस प्रकार प्रार्थी 1/3, 1/3 हक व हिस्सा कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 21 एम ओ डी के खाता संख्या 107/38 के प०न० 12/270 के मु०न० 57 के किला न0 3,813, 18/0. 084, की कुल 0.843 हैक. नहरी पर शान्ति पूवर्क तरीके से कब्जा काश्त कर रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और अप्रार्थी स. 1, 2 ता 4 के असमयक प्रभाव में है तथा अप्रार्थी प्रार्थी से रंजिश रखतें हैं इस कारण अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने का नजाजय फायदा उठाने के उद्देश्य से तथा प्रार्थी को अपने हक व हिस्सो मे महरूम करने के उद्देश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि को अपने लालच से वशीभूत होकर अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को ओने पोने दामो में किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते हैं । यदि अप्रार्थी स. 1 ता 4 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति कारित होगीं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स. 1 ता 4 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तह. पीलीबंगा के चक 21 एम.ओ.डी के खाता सं. 107/38 के प. न. 11/270(56) मिस .14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/2, 25/3, व प. न. 12/270 (57) के किला न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 इस प्रकार कुल 5.0600 हैक्ट नहरी व गै. मु. रास्ता कृषि भूमि में से अप्रार्थी स. 1 सतपाल के 1/4 हक व हिस्सा मे से 1/1, 1/3 हक व हिस्सा ब हिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व तहसील पीलीबंगा के चक 21 एम ओ डी के खाता सख्या 107/38 के प०न० 12/270 के मु०न० 57 के किला न0 3,8,13, 18/0.084, की कुल 0.843 हैक नहरी पर शान्ति पूवर्क तरीके से कब्जा काश्त कर रहा है के अनुसार खाता विभाजन से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से ... न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और विशिष्ट ... हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स. 1 ता 4 फैसला वाद इस आशय की जारी की जावें कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 21 एम.ओ. डी के खाता सं. 107/38 के प. न. 11/270 (56) के किला न. 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/2, 25/3, व प.न. 12/270 (57) के किला न. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 इस प्रकार कुल 5.0600 हेक्ट, नहरी व मैं मु. रास्ता कृषि भूमि

में से अप्रार्थी स. 1 सतपाल के 1/4 के हक व हिस्सा में से 1/3–1/3 हक व हिस्सा व हिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और विशिष्ट किलों को बैचान करने से निषेद्ध रहें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.08.25 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। नोटिस जारी कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दलीप सिंह द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है जवाब अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 की ओर से निम्न प्रकार से हैं –यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में सजरा खानदान होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 4 को अपने पिता स्व. मनफूल की स्वअर्जित सम्पति जरिये वसीयत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर सभी को अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की सहमति से विभाजित होकर श्रीमान् तहसीलदार महोदय के यहां नामान्रण हेतु प्रक्रियाधीन है तथा सलंग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रस्तुत फोटोप्रति के अनुसार सभी को उनकी सहमति से विभाजित की गई है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में प्रार्थी रजनीश को अपने पिता की भूमि में से 1/3 हिस्सा बनता है जिसमें वह अपने पिता को विभाजन हिस्से में आई हुई भूमि में से 1/3 हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यह कि प्रार्थी रजनीश ने अपने पिता की भूमि जो कि सतपाल को अपने पिता के 1/4 हिस्सा से अप्रार्थी संख्या 1 (सतपाल) को बेदखल कर रखा है तथा उक्त भूमि व उस पर बनी हुई ढ़ाणी पर जबरन काबिज हो रखा है।

यह कि प्रार्थना पत्र मद संख्या 5 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने भूमि विभाजन फोटोप्रति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है। उसी के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल कर रखा है। इसके अतिरिक्त ये कथन करना भी उचित होगा कि प्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता को उसके कब्जेशुदा भूमि से बेदखल कर उसको घर से बेदखल कर रखा है, उसको ना तो भरणपोषण हेतु कुछ देता है तथा उसके द्वारा कमाई हुई राशि भूमि छीन लेता है व मारपीट करता है। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने श्रीमान् जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ को भी आवेदन पत्र दिया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त भूमि पर जारी स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावें जिससे नामान्तरण की कार्यवाही आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रार्थी को अपने पिता की 1/4 हिस्सा में से आई हुई भूमि के 1/3 तक की ही हिस्सेदारी है अन्य पर रोक लगवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। पत्रावली का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। अपितु उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 1/12/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:46 IST
Reason: SelfAttested